TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (REVENUE DEPARTMENT:DELHI) 5, SHAM NATH MARG, DELHI

NOTIFICATION

- 1. **F No. 7(14)/REV./GA/Rev. P/DC/2012.-** In super session of all previous notifications appointing Additional Collectors and conferring powers of Collector and Deputy Commissioner in the National Capital Territory of Delhi and in exercise of the powers conferred by section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint all the Additional District Magistrates of respective Districts, Government of National Capital Territory of Delhi as Additional Collectors and delegate the powers of Collector under section 6 read with section 76 of the said Act and further empower them to discharge the functions of Deputy Commissioner under Delhi Land Reforms Act, 1954 in their respective Districts w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Additional District Magistrate in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- E. Further, in exercise of powers conferred by section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887, section 27(1) (a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 and section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon all the Additional District Magistrates of respective Districts, Government of National Capital Territory of Delhi all powers of Collector under the said Acts and delegate the powers of hearing appeals under section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer(Consolidation) passed under section 21(3) of the said Act respectively in their respective Districts w.e.f. the date of assumption of charge and so long as they hold the post of Additional District Magistrate in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

Commission Commission

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,

(MOHAMMED A ABID)
Addi. Secretary (Revenue)

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Motification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Gazette (Extra Ordinary).

All District Magistrates/Deputy Commissioners, Revenue Deptt., Govt. of N.C.T. of Delhi.

- 3. All Addl. Districts Magistrates, Revenue Deptt., Govt. of N.C.T. of Delhi.
- 4. All Sub. Divisional Magistrates, Revenue Deptt., Govt. of N.C.T. of Delhi.
- 5. All Tehsildars, Revenue Deptt., Govt. of N.C.T. of Delhi.
- 6. Dy. Controller of Accounts, Revenue Deptt., Govt. of N.C.T. of Delhi.
- 7. AD(Planning), Revenue Deptt., Govt. of N.C.T. of Delhi.
- 8. System Analyst, Revenue Department for uploading the notifications on departmental website.
- 9. P.A. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
- 10. Guard file.

(RAJIV KUMAR)

SUB DIVISIONAL MAGISTRATE-I (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राजस्व विभाग, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली

सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0-पी/मं. आयु./2012 🕱 🥱 उ

दिनांकः २ - २०१८

अधिस्चना

सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0-पी/मं. आयु./2012 .--अतिरिक्त समाहर्ता की नियुक्ति तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समाहर्ता तथा उपायुक्त की शक्तियां प्रदान करने संबंधी सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा दिल्ली भू राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सम्बद्ध जिलो के समस्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राजस्व विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अतिरिक्त समाहर्ता के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 76 के साथ पठित धारा 6 के अन्तर्गत समाहर्ता की शक्तियों का प्रत्यायोजन करते है और उन्हें कार्य ग्रहण करने की तिथि से और राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहने तक, या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत उपायुक्त के कार्यों के निर्वहन के लिये संशक्त करते हैं।

इसके आगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब काश्तकारी अधिनियम, 1887 की धारा 105 (1)(क), पंजाब भू—राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1)(क), उत्तर प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 (क) तथा पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी एवं विखंडन रोकथाम), अधिनियम, 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत सम्बद्ध जिलों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारियो को समाहर्ता की सारी शक्तियां प्रदान करते हैं और राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से तथा उनके उक्त पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उनके सम्बद्ध जिलों में क्रमशः उक्त अधिनियम की धारा 21 (3) के अन्तर्गत पारित बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) के आदेशों के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 21 (4) के अन्तर्गत अपीलों की सुनवाई की शक्तियां उन्हें सौंपते हैं।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

> > मुहममद ऐ आविद) अतिरिक्त सचिव (राजस्व)

सं.फा. 7(14)/राज0/जीए/राज0-पी/मं. आयु./2012 **3** 3 प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :--

दिनांकः 2-2-2-12 (X

- उप—सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग—4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
- समस्त जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली। 3.
- समस्त सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- समस्त तहसीलदार/चकबंदी अधिकारी राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5. दिल्ली।
- उप-नियंत्रक लेखा, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली। 6.
- सहायक निदेशक (योजना), राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- प्रणाली विश्लेषक, राजस्व विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अधिसूचना को अपलोड करने हेतु। 8.
- नि.स. सचिव (राजस्व) / मंडलीय आयुक्त।
- गार्ड फाईल। 10.

Magne

(राजीव कुमार)

उपमंडलीय दंडाधिकारी—I (मुख्यालय)